

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 96] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 1981/फाल्गुन 28, 1902
No. 96] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 1981/PHALGUNA 28, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19, मार्च, 1981

विशेष यात्रा

सां०कां०सि० 186(अ)—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1979 (1979 का 21) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हाँ जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यात्रियों के प्रयोगों को, भारत, के बाहर किसी स्थान को उनकी अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा की बाबत, उक्त अधिनियम की

धारा 35-की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय विदेश यात्रा कर के मंदाय से, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है।

सारणी

क्रम सं०	यात्री का प्रवर्ग	शर्तें
1	2	3
1.	राजनयिक मिशनों के, राजनयिक हैसियत धारण करने वाले पदधारियों से भिन्न ऐसे पदधारी जो भारत के राष्ट्रिक नहीं हैं या भारत में स्थायी रूप से निवासी नहीं हैं और जो मिशन की प्रशासनिक या तकनीकी सेवा में नियोजित हैं और उनके कुटुम्ब।	भारत में राजनयिक मिशन के प्रधान या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना कि यात्री मिशन का पदधारी है या ऐसे किसी पदधारी के कुटुम्ब का सदस्य है।
2.	भारत में विदेशी कौंसलों के पदधारी जो भारत के राष्ट्रिक नहीं हैं या भारत में स्थायी रूप से निवासी हैं और उनके कुटुम्ब।	भारत में विदेशी कौंसल के प्रधान या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना कि यात्री विदेशी कौंसल का पदधारी है या ऐसे किसी पदधारी के कुटुम्ब का सदस्य है।

[नं० 2/एफ०टी०टी०/81-एफ०-306/12/79-एफ०टी०टी०]

जेड० बी० नगरकर, सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 1981

FOREIGN-TRAVEL TAX

G.S.R. 186(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979), the Central Government, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby exempts the categories of passengers specified in column (2) of the Table below from payment of foreign travel tax leviable under sub-section (1) of section 35 of the said Act, in respect of their international journey

to any place outside India subject to the conditions specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Category of passengers	Conditions
1	2	3
1.	Officials of Diplomatic Missions, other than those holding diplomatic status, who are not nationals of, or permanently resident in, India and are employed in administrative or technical services of the mission and their families.	Production of a certificate from the Head of the diplomatic mission in India or an Officer authorised by him in this behalf to the effect that the passenger is an official of the mission or is a member of the family of such an official.
2.	Officials of foreign consulates in India who are not nationals of, or permanently resident in, India, and their families.	Production of a certificate from the Head of the foreign consulate in India or an officer authorised by him in this behalf that the passenger is an official of the foreign consulate or is a member of the families of such an official.

[No. 2/FTT/81-F. 306/12/79-FTT.]

Z.B. NAGARKAR, Under Secy.

